संख्या-07/2021/63 ई-2/तेरह-2021-86/2016

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2021

विषय-मेसर्स के.एम. शुगर मिल्स लि. डिस्टिलरी डिवीजन मोतीनगर, जिला-अयोध्या को वर्ष में 330 कार्यदिवस के स्थान पर 365 कार्यदिवस तक संचालित करने की अनुमति प्रदान करते हुए आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 165 लाख ली. से बढ़ाकर 182.50 लाख ली. किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपन पत्र सं.-जी-68/दो-प्रा.डी.-39/मसौधा, दिनांक 07 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07.01.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स के.एम. शुगर मिल्स लि., डिस्टिलरी डिवीजन मोतीनगर, जिला-अयोध्या की वर्तमान प्रतिदिन क्षमता 50 कि.ली. अल्कोहल उत्पादन को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 330 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस स्वीकृत करते हुए इस आधार पर आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 165 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 175 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक को उक्तानुसार क्षमता विस्तार करने से पूर्व श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग, केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।